न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, मुजफ्फरपुर

उपस्थित :– आलोक कुमार पाण्डेय II, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, मुजफ्फरपुर

सत्र वाद सं0 – 829/2023

(कांटी (पानापुर ओ0पी0) थाना कांड संख्या–56/2017 धारा 147, 149, 504, 307, 323, 354, 379 भा0दं0वि0 से व्युत्पन्न)

निर्णय की तिथि :– 17.03.2026

सी.आई.एस. संख्या :– 829/2023

सेशन ट्रायल संख्या :– 829/2023

FORM-A

Complainant	जगन्नाथ राय, सूचक
Represented by	श्री ललित कुमार वर्मा (विद्वान अपर लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर)
Accused	1. मो0 अमजद, पिता–स्व0 सदीक, उम्र–53 वर्ष 2. मो0 मैनुद्दीन, पिता–स्व0 सदीक, उम्र–60 वर्ष 3. मो0 सैमुद्दीन, पिता–स्व0 सदीक, उम्र–58 वर्ष 4. मो0 सरफराज, पिता–मैनुद्दीन, उम्र–30 वर्ष 5. मो0 चमन, पिता– सैमुद्दीन, उम्र–27 वर्ष 6. मो0 नजीम, पिता–स्व0 मो0 अब्दुल्लाह, उम्र–39 वर्ष 7. मो0 नौसाद, पिता–स्व0 मो0 रौशन, उम्र–45 वर्ष सभी निवासी ग्राम– माधोपुर मचिया, थाना–कॉटी, जिला–मुजफ्फरपुर
Represented by	श्री राजेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता

FORM-B

Date of Offence	12.02.2017
Date of FIR	13-02-2017
Date of Chargesheet	26.03.2018
Date of Framing of charges	28.11.2023
Date of Commencement of evidence	01.07.2025
Date on which judgment is reserved	06.03.2026
Date of Judgment	17.03.2026
Date of the Sentencing Order, if any	....

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, मुजफ्फरपुर

उपस्थित :– आलोक कुमार पाण्डेय II, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, मुजफ्फरपुर

सत्र वाद सं0 – 829/2023

(कांटी (पानापुर ओ0पी0) थाना कांड संख्या–56/2017 धारा 147, 149, 504, 307, 323, 354, 379 भा0दं0वि0 से व्युत्पन्न)

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.
01 02 03 04 05 06 07	मो0 अमजद मो0 मैनुद्दीन मो0 सैमुद्दीन मो0 सरफराज मो0 चमन मो0 नजीम मो0 नौसाद			धारा– 147, 323, 504, 307, 354, 379/149 भा.द.वि.	Acquitted		

साक्षियों का परिशिष्ट सूची :–

1. मौखिक साक्ष्य : अभियोजन की ओर से।

क्र.सं.	साक्षियों का नाम
1	अभियोजन साक्षी सं0–1 – जगरनाथ राय
2	अभियोजन साक्षी सं0–2 –प्रभा देवी
3	अभियोजन साक्षी सं0–3 –अमीना खातुन
4	अभियोजन साक्षी सं0–4 – अनिल कुमार
5	अभियोजन साक्षी सं0–5 – मोमिना खातून

2. प्रदर्श : अभियोजन की ओर से।

क्र.सं.	प्रदर्श
प्रदर्श 1	सूचक के लिखित आवेदन पर उनका हस्ताक्षर

3. मौखिक साक्ष्य :– बचाव पक्ष की ओर से।

क्र.सं.	साक्षियों का नाम
1	बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रदर्श :– बचाव पक्ष की ओर से।

क्र.सं.	प्रदर्श

	बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निर्णय

1. उपरोक्त नामित सात अभियुक्तगण इस वाद में धारा 147, 323, 504, 307, 354, 379/149 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोपों का विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. सूचक जगरनाथ राय के लिखित आवेदन के अनुसार उनका कहना है कि दिनांक 11.02.2017 रोज शानिवार को 12 बजे दिन में हमारी बकरी खेत में बांधी हुई चर रही थी, और उसके बगल में पश्चिम तरफ मो0 सद्दीक का गेहूँ लगा खेत है। नुकसानी का ईलजाम लगाकर अमजद का लड़का चून्नू हमारे लड़का रणवीर कुमार से झगड़ा किया, तो हम बोले कि हम देख कर नुकसान का भरपाई करेगें, वहॉ देखने गये तो कोई नुकसान नहीं था। आज सुबह लगभग 6:30 बजे जब मैं अपने दरवाजे पर था तो मो0 अमजद, मो0 मैनुद्दीन मो0 सैमुद्दीन, सरफराज, मो0 चमन, मो0 नजीम, मो0 नौशाद सभी ग्राम माधोपुर मचिया थाना कॉटी पानापुर जिला मुजफ्फरपुर हमारे दरवाजे पर आये गाली गलौज करने लगे कि साला तुम फसल नुकसान कर दिया और कल पंचायती का भी धमकी दिया साले आज तुमको मार कर खतम कर देगें और मैंने गाली देने से जब मना किया तब सरफराज चाकू निकाल कर हमारे उपर जानलेवा गर्दन पर चलाया जो हमारे बाए ऑख के नीचे लगा और खून बहने लगा व अन्य मुदालय लाठी, थप्पड, मुक्का से मारपीट किया। जब हमारी पत्नी प्रभा देवी हमको बचाने आई तो उसका साड़ी खोल कर मो0 अमजद बेलग्न कर दिया और सभी मुदालय उसे भी बेरहमी से लात, मुक्का, थप्पड़ से मारपीट किया और मो0 मैनुद्दीन उसके गले से चॉदी का सिकड़ी चार भर का छीन लिया। घटना के समय मौजे राय बल्द फौजदार राय, फौजदार राय बल्द स्व0 लगटू राय, कालावती देवी, एवं सहदेव शर्मा अगल बगल के बहुत से लोग आ गये थे, जिन लोगों ने घटना देखा, और हमलोगों की जान बचाई इसके बाद मैं तथा मेरी पत्नी सदर अस्पातल गए, जहॉ हमलोगों का ईलाज हुआ।.

3. सूचक के इस लिखित आवेदन के आधार पर कांटी (पानापुर) थाना काण्ड संख्या–56/2017, दिनांक 13.02.2017 धारा 147, 149, 504, 307, 323, 354, 379

भा0दं0वि0 के अन्तर्गत उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता ने घटना को सही पाते हुए इनके विरूद्ध धारा– 147, 149, 504, 307, 323, 354, 379 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र संख्या 128/2018 दिनांक 26.03.2018 समर्पित किया।

4. तत्कालीन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी ने दिनांक 06.03.2019 को आरोपत्रित इन सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 147, 149, 504, 307, 323, 354, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत इस मामले का संज्ञान लिया गया और दिनांक 07.10.2023 को इन अभियुक्तों का वाद दौरा सुपूर्द कर दिया गया। यह वाद स्थानांतरण की सामान्य प्रक्रिया में इस न्यायालय के निजी संचिका में दिनांक 17.10.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त सभी आरोपत्रित अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक 28.11.2023 को किया गया।

5. इन अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 28.11.2023 को धारा– 147, 323, 504, 307, 354, 379/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया जिसे अभियुक्तों ने स्वीकार करने से इंकार किया है तथा वाद विचारण का दावा किया।

6. इन अभियुक्तों का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिनांक 07.02.2026 को दर्ज किया गया तथा अभियुक्तों ने सफाई में स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया।

7. अब इस वाद में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन इन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

8. अभियोजन की ओर से अपने अभियोजन कथन के समर्थन में निम्नलिखित 05 मौखिक साक्षियों का परीक्षण कराया गया है :–

अभियोजन साक्षी सं0–1 – जगरनाथ राय
अभियोजन साक्षी सं0–2 –प्रभा देवी
अभियोजन साक्षी सं0–3 –अमीना खातुन
अभियोजन साक्षी सं0–4 – अनिल कुमार

अभियोजन साक्षी सं0–5 – मोमिना खातून

इन मौखिक साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं :–

प्रदर्श 1	सूचक के लिखित आवेदन पर उनका हस्ताक्षर

प्रतिरक्षा साक्ष्य

09. बचाव पक्ष की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन की ओर से बहस

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन की ओर से अपने बहस के दौरान यह कहा कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 5 मौखिक साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। उनका कहना है कि अभियोजन इस वाद में अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से इन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से बहस

11. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान यह कहा कि आपराधिक मामले में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करना होता है, लेकिन प्रस्तुत मामले में अभियोजन इन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने में बिल्कुल असफल रहा है। उनका कहना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य के गवाहों के बयानों में मुख्य आरोप के बिन्दु पर अत्यधिक विरोधाभाष है और इतना ही नहीं, इनमें से कोई भी गवाह स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, इसलिए केवल इनके कथन के आधार पर अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि किसी ऐसे मामले में जहाँ मामला संदेहास्पद हो, वहाँ विधि का यह स्थापित सिद्धांत लागू होता है कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाता है। उनका कहना है कि प्रस्तुत मामला भी संदेहास्पद साबित होता है इसलिए इस

मामले में संदेह के आधार पर भी अभियुक्तगण दोषमुक्ति के हकदार हैं।

12. **अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाहों का बयान**

(I) **अभियोजन साक्षी संख्या 1. जगरनाथ राय–** इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैने हीं यह केस किया है। घटना 7 वर्ष पहले लगभग 08.00 बजे दिन की है। अमजद, सरफराज, नैइमुद्दीन, सैमुद्दीन, नाजीम, चमन कुल सात व्यक्ति मेरे साथ मारपीट किये थे। मेरी पत्नी प्रभा देवी के साथ भी ये लोग मारपीट किये थे और उसके कान का बाली छीन लिये थे। मेरा इलाज सदर अस्पताल में हुआ। फिर मैंने यह केस किया। कांड दर्ज करने हेतु दिये गये लिखित आवेदन पर यह मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमजद, सरफराज, नैइमुद्दीन, सैमुद्दीन, नाजीम, चमन, सरफराज की मॉ को पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कहा है कि अभियुक्तगण मेरे पड़ोसी है। अभियुक्तो से जमीन को लेकर विवाद है, इसलिए इन्हें पहचानते है। उसी दिन की घटना को लेकर अभियुक्तो ने भी एक मुकदमा मेरे और मेरे परिवार के लोगो पर किया था जो अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम के न्यायालय में चल रहा है, जिसका सत्र वाद सं0 933/2023 है। यह मुकदमा और इसका पलटा मुकदमा दोनों पक्षों के बीच राजी–खुशी से सुलह हो गया है और इन दोनों मुकदमो में सुलहनामा दाखिल है। अब दोनो पक्ष मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। सुलह हो जाने के कारण अन्य गवाह गवाही देना नहीं चाहता है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण बारी–बारी से आए थे। वहॉ भीड़ बहुत ज्यादा जुटी थी, इसलिए मैं यह नहीं देख पाया कि मुझे चोट कैसे लगी। बेहोश होने के कारण मैं यह नहीं देख पाया कि मेरी पत्नी के कान का बाली कौन छीना था।

(II) **अभियोजन साक्षी संख्या 2. प्रभा देवी–** इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि मेरे पति ने हीं यह केस किया है। घटना 7 वर्ष पहले लगभग 08.00 बजे दिन की है। खेती बाड़ी को लेकर अमजद, सरफराज, नैइमुद्दीन, सैमुद्दीन, नाजीम, चमन कुल सात व्यक्ति मेरे साथ और मेरे पति के साथ मारपीट किये थे। मेरे कान का बाली लोग छीन लिये थे। मेरा इलाज सदर अस्पताल में हुआ। फिर यह केस हुआ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमजद, सरफराज, नैइमुद्दीन, सैमुद्दीन, नाजीम, चमन, सरफराज

की मॉ को पहचानती हूँ।

इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण मेरे पड़ोसी है। मुझे किसने मारा यह मैने नहीं देखा। वहॉ भीड़ बहुत थी। मेरे कान का बाली कौन छीना यह भी मैने नहीं देखा। उसी दिन की घटना को लेकर अभियुक्तो ने भी एक मुकदमा मेरे और मेरे परिवार के लोगो पर किया था जो अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम के न्यायालय में चल रहा है, जिसका सत्र वाद सं0 933/2023 है। यह मुकदमा और इसका पलटा मुकदमा दोनों पक्षों के बीच राजी–खुशी से सुलह हो गया है और इन दोनों मुकदमो में सुलहनामा दाखिल है। अब दोनो पक्ष मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। घटनास्थल पर अभियुक्तगण बारी–बारी से आए थे। वहॉ भीड़ बहुत ज्यादा जुटी थी, इसलिए मैं यह नहीं देख पायी कि मुझे चोट कैसे लगी।

(III) **अभियोजन साक्षी संख्या 3. अमीना खातून** – इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में मैने बताया था कि दिनांक 12.02.2017 को सुबह में बकरी चराने को लेकर बाहर में जगरनाथ राय, मिश्रीलाल राय, रंधीर राय, रण्वीर राय एवं मो0 अमजद, मो0 कमरूदीन, मो0 शहुदीन, मो0 असलम, मो0 शरफराज, मो0 वसीम, मो0 नौसाद के बीच गाली गलौज हुआ, उसके बाद उसी को लेकर जगरनाथ राय के दरवाजे पर दोनों पार्टी के बीच मारपीट हुआ, जिससे जगरनाथ राय एवं उनकी पत्नी जख्मी हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही दे रही हूँ।आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमजद, मैनुद्दीन को पहचानती हूँ।

इन्होने बचाव पक्ष द्वारा किए गए अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उपस्थित अभियुक्तगण मेरे भाई हैं, इसलिए पहचानती हूँ।

(IV) **अभियोजन साक्षी संख्या 4. अनिल कुमार**– इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि मेरे पिता का नाम मनोज राय है। मौजेलाल राय मेरे अपने चाचा हैं। मेरे चाचा के अलावा मौजेलाल राय नाम का दूसरा कोई व्यक्ति मेरे गॉव में नहीं है। घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन

पर साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में मैने बताया था कि दिनांक 12.02.2017 को सुबह में बाहर में नहर के पास जगरनाथ राय, मौजेलाल राय, मुकेश राय, रंधीर राय, रणवीर राय एवं मो0 अमजद, मो0 शरफराज, मो0 मैनुद्दीन, मो0 शमशुद्दीन, मो0 नौसाद के बीच बकरी चराने को लेकर गाली गलौज हुआ, उसके बाद उसी को लेकर जगरनाथ राय के दरवाजे पर दोनों पार्टी के बीच मारपीट हुआ, जिससे मो0 शरफराज एवं जगरनाथ राय जख्मी हो गए। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही दे रहा हूॅ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमजद, मैनुद्दीन को पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होने कहा है कि उपस्थित अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं, इसलिए पहचानता हूॅ।

(V) **अभियोजन साक्षी संख्या 5. मोमिना खातून–** इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में मैने बताया था कि दिनांक 12.02.2017 को सुबह करीब आठ बजे बकरी चराने को लेकर गाली गलौज होते देखे, जगरनाथ राय, मौजेलाल राय, मुकेश राय, रंधीर राय, प्रवेश राय एवं मो0 अमजद, मो0 शरफराज, मो0 मैनुद्दीन, मो0 शमशुद्दीन, मो0 नौसाद, मो0 वजीर के बीच मारपीट हुआ, जिससे दोनो पक्ष जख्मी हो गए, बकरी द्वारा गेहूॅ चरने के क्रम में मारपीट हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही दे रहा हूॅ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमजद, शैमुद्दीन, मैनुद्दीन को पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होने कहा है कि अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं, इसलिए पहचानता हूॅ।

साक्ष्य की विवेचना

14. उपरोक्त नामित सभी 7 अभियुक्तगण इस वाद में धारा 147, 323, 504, 307, 354, 379/149 भा0द0वि0 में वर्णित अपराध के आरोप का विचारण का सामना कर रहें हैं।

प्राथमिकी में सूचक जगरनाथ राय का यह कहना है कि घटना तिथि दिनांक 11.02.2017 को 12 बजे दिन में उनकी बकरी/खस्सी उनके खेत में बांधा हुआ चर रहा था और उसके बगल में पश्चिम तरफ मो0 सद्दीक का गेहूँ का लगा खेत है और उस फसल का नुकसान होने का आरोप लगाकर अमजद का लड़का मुन्ना सूचक के लड़का रणवीर कुमार से झगड़ा किया तब सूचक ने कहा कि इस नुकासान का हम भरपाई करेगें किंतु देखने गए तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसी बात को लेकर घटना तिथि को करीब 6:30 बजे जब सूचक अपना दरवाजा पर थे तो प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्त वहॉ आकर उन्हें गाली–गलौज करने लगे और गाली देने से मना करने पर सरफराज चाकू से उनके गर्दन पर जानलेवा हमला किया जो कि उनके बाएं ऑख के नीचे लगा और कट गया और अन्य अभियुक्त उन्हें लाठी, थप्पड़, मुक्का से मारपीट किए और जब सूचक की पत्नी प्रभा देवी उनको बचाने आयी तो उसका साड़ी खोलकर मो0 अमजद उसको बेलग्न कर दिया और सभी अभियुक्त मारपीट किया और अभियुक्त मैनुद्दीन उसके गले से चार भर का सोना का सिकड़ी छीन लिए।

जगरनाथ राय (P.W-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्राथमिकी में वर्णित घटना का कुछ सीमा तक समर्थन करते हुए यह कहा है कि घटना तिथि को प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्त उनके साथ मारपीट किए और उनकी पत्नी प्रभा देवी के साथ भी मारपीट किया और उसके कान के बाली भी छीन लिए किंतु अपने इस बयान का बिल्कुल विपरीत बयान करते हुए सूचक ने अपने प्रति–परीक्षण के दौरान यह कहा है कि घटना स्थल पर अभियुक्तगण बारी–बारी से आए थे और वहॉ भीड़ बहुत ज्यादा जूटी थी इसलिए यह नहीं देख पाया की मुझे चोट कैसे लगी थी। इन्होंने यह भी कहा है कि बेहोश होने के कारण नहीं देख पाया कि मेरी पत्नी के कान की बाली कौन छीना था। सूचक ने यह भी कहा है कि अभियुक्त पड़ोसी हैं और उसी दिन की घटना को लेकर अभियुक्तों ने भी एक मुकदमा सूचक एवं उनके परिवार के उपर किया है और

यह मुकदमा और पलटा मुकदमा दोनों पक्षों के बीच राजी—खुशी से सुलह कर लेने की बात कहा है और यह भी कहा है कि सुलह हो जाने के कारण वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है और अन्य गवाहों की गवाही नहीं देना चाहते है। इस प्रकार सूचक ने कथित घटना के संदर्भ में अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रति—परीक्षण में परस्पर विरोधाभासी बयान दिया है और ऐसी स्थिति में उनके इस बयान से न केवल उनके बयान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है बल्कि मूल अभियोजन कथानक की सत्यता एवं मौलिकता भी संदेह के दायरे में आती है।

सूचक की पत्नी प्रभा देवी (P.W-2) ने भी अपने मुख्य—परीक्षण में प्राथमिकी में वर्णित घटना का कुछ सीमा तक समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा उनके साथ एवं उनके पति के साथ मारपीट करने और उनके कान की बाली छीन लेने की बात कहा है, किंतु इन्होंने ने भी अपने प्रति—परीक्षण में इसके बिल्कुल विपरीत बयान देते हुए यह कहा है कि उनको किसने मारा यह नहीं देखी, वहॉ भीड़ बहुत थी और उनके कान की बाली किसने छीना यह भी नहीं देखी। इस साक्षी ने भी यह मुकदमा और पलटा मुकदमा दोनों पक्षों के बीच राजी—खुशी से सुलह कर लेने की बात कहा है और यह भी कहा है कि सुलह हो जाने के कारण अब दोनों पक्ष मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना स्थल पर अभियुक्तगण बारी—बारी से आए थे और वहॉ भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए यह नहीं देखे पाए की उन्हें यह चोट कैसे लगी। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रति—परीक्षण में कथित घटना के संदर्भ में परस्पर विरोधाभासी बयान दिया है और उनके इस बयान से उनके बयान की सत्यता मूल अभियोजन कथानक की सत्यता एवं मौलिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी अमीना खातुन (P.W-3) अनील कुमार (P.W-4) तथा मामिना खातुन (P.W-5) ने कथित घटना के संदर्भ में अपनी अनभिज्ञता जाहिर कि है और अभियोजन के निवेदन पर इन साक्षियों को पक्ष—द्रोही साक्षी घोषित किया गया है किंतु इन साक्षियों के प्रति—परीक्षण से अभियोजन कोई ऐसी बात नहीं ले सका है जो किसी भी प्रकार से अभियोजन वाद को कोई बल प्रदान करता हो।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूचक एवं उनकी पत्नी सहित किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्राथमिकी में वर्णित घटना को अपने बयान से साबित नहीं किया है और उनका बयान परस्पर विरोघाभासी है और ऐसे में इस वाद में अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोप संदेहास्पद प्रतीत होते हैं और विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है। अतः इस वाद में विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तों को धारा 147, 323, 504, 307, 354, 379/149 भा0द0वि0 के अपराध से दोष–मुक्त किया जाता है और उनके जमानतदारों को भी उनके बंध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

शुद्धिकृत एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित

(आलोक कुमार पाण्डेय II)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
मुजफ्फरपुर
दिनांक–17.03.2026

लेखापित

(आलोक कुमार पाण्डेय II)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
मुजफ्फरपुर
दिनांक–17.03.2026